

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश


-आदेश

ग्वालियर, दिनांक 4-10-2014

क्रमांक- 44/स्था0एक/सर्वेत्क/2014 इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 21/सी0ओ0/सर्वेत्क/2014 दिनांक 30.1.014 के सरल क्रमांक 12 पर पदोन्नति तथा आदेश क्रमांक 30/स्था0एक/सर्वेत्क/2014 दिनांक 27.5.2014 द्वारा श्री शफीक अली की राजस्व निरीक्षक पद पर पदस्थापना जिला सीहोर की गई थी।

श्री अली द्वारा पदोन्नति पर नहीं जाने का निवेदन किये जाने के कारण इनकी पदोन्नति म0प्र0शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक डी/386/684/87/नि-1/4 दिनांक 25.7.87 के क्रम में निरस्त की जाती है। तथा 1 वर्ष की अवधि के लिये पदोन्नति से वंचित किया जाकर पुनः अनुरेखक के पद पर कार्यालय कलेक्टर भू-प्रबन्धन जिला विदिशा में पदस्थ किया जाता है।

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 11/1/2008/नियम/चार/नियम 24 जनवरी 2008 की कडिका 13 के अनुसार राजस्व निरीक्षक पद पर जाने से इंकार करने पर समयमान वेतनमान का लाभ वापिस लिया जाता है।



आयुक्त,
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त,
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक /स्था0एक/सर्वेत्क/2014

ग्वालियर, दिनांक-

प्रतिलिपि :-

- 1- कलेक्टर भू-प्रबन्धन जिला सीहोर/विदिशा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- उप आयुक्त भू-अभिलेख भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 4- श्री शफीक अली, अनुरेखक कार्यालय कलेक्टर भू-प्रबन्धन जिला विदिशा की ओर पालनार्थ।


आयुक्त,
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त,
मध्यप्रदेश